

14/2020 2512 वगैरह लखनऊ

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम ज हुकम की में जारी
13-2-2021	वकील प्रार्थी उपर। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापूर सिटी से रिपोर्ट अप्राप्त। रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली दि० 11-2-2021 को पेश हो	
11-2-2021	वकील प्रार्थी उपर। तहसीलदार गंगापूर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। वकील प्रार्थी की वद्वस सुजी गई। प्रा० क्र० 136 L.R.A. Act. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी (स०मा०)	



मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

14/2020

18.9.2020

11.2.2021

केदार उर्फ हरजी पुत्र जीवा, रैगर, नि. सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
उपस्थित :-श्री तरुण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि हॉल ख0न0 1018/690 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है एवं ख0न0 789, ख0न0 790 मे प्रार्थी का हिस्सा 1/24 दर्ज है। इसी प्रकार ख0न0 234, ख0न0 235, ख0न0 236 मे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज है। यह ग्राम सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम केदार पुत्र जीवा है। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम केदार रैगर दर्ज है परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से प्रार्थी का नाम हरजी अंकित कर दिया है जबकि हरजी प्रार्थी का घर का नाम है। केदार और हरजी दोनो एक ही व्यक्ति है। जीवा के हरजी नाम का प्रार्थी के अतिरिक्त कोई पुत्र नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 108/690, ख0न0 789, ख0न0 790, ख0न0 234, ख0न0 235, ख0न0 236 ग्राम सलेमपुर में राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम हरजी के स्थान पर केदार संशोधित किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 8, खाता संख्या 69, खाता संख्या 367 ग्राम सलेमपुर प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि सहखातेदारो के हिस्से मे आई भूमि पर हरजी पुत्र जीवा जाति रैगर काबिज है। उक्त भूमि हरजी को उसके पिता जीवा पुत्र खूबा रैगर से विरासत के नामा0 संख्या 117 से 119 दिनांक 6.1.1983 से प्राप्त हुई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य फोटोकॉपी विक्रय पत्र मे भूमि पत्नी के नाम से क्रय की है

मैं तथा आधार कार्ड मे हरजी नाम दर्ज है। राशनकार्ड मे केदार उर्फ



ला कलेक्टर
सिटी (सं0न0)

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी का सही नाम केदार है जिसे राजस्व जमाबंदी में हरजी पुत्र जीवा दर्ज किया हुआ है। इसे सही किया जावे ताकि प्रार्थी को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार केदार एवं हरजी एक ही व्यक्ति के नाम हैं एवं इनके पिता का नाम जीवा रैगर है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फोटोकॉपी राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम केदार उर्फ हरजी दर्ज है। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी का सही नाम केदार है। अतः इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रार्थी दुरुस्ती कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सलेमपुर की जमाबंदी सं० 2071 से 2074 के खाता संख्या 8, खाता संख्या 69, खाता संख्या 367 में दर्ज प्रविष्टि "हरजी पुत्र जीवा" के स्थान पर प्रविष्टि "केदार पुत्र जीवा" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)